

डॉ. रणजीत कुमार सिंह, भा0प्र0से0,  
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।  
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)।

पटना, दिनांक-12/09/19

विषय- बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के तहत नियोजन हेतु न्यूनतम योग्यता आदि के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंग- विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 05.07.2019 एवं अधिसूचना संख्या 1098 दिनांक 22.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि वर्ष 2019-20 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन हेतु कतिपय विन्दुओं पर स्पष्टीकरण व दिशा निर्देश दिया जाना आवश्यक है, जो निम्नवत है :-


1. केन्द्र स्तर पर "शिक्षक पात्रता परीक्षा" सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा ली जाती है जिसके तहत न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित करते हुए यह प्रावधान है कि राज्य सरकार अपने आरक्षण नीति के अनुरूप उक्त न्यूनतम निर्धारित अंक को आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यकतानुसार कम कर सकती है। तदालोक में विभागीय पत्रांक-748 दिनांक-05.11.2012 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत "शिक्षक पात्रता परीक्षा" के उत्तीर्णता हेतु राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अनु0 जाति/अनु0 जनजाति, महिला एवं दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है। पूर्व में सरकार के स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार ही वर्ष 2019-20 में शिक्षक नियोजन हेतु यह छूट सी0टी0ई0टी0 उत्तीर्ण उक्त कोटि के अभ्यर्थियों पर भी लागू होगी।

2. वर्ष 2019-20 में शिक्षक नियोजन हेतु अभ्यर्थी के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अर्हता की तिथि के संबंध में स्पष्ट करना है कि शिक्षक नियोजन हेतु आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी के लिए शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

3. शिक्षक नियोजन हेतु पूर्व में प्रेषित आवेदन पत्र में कतिपय संशोधन किया गया है। संशोधित आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र संलग्न है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
(डॉ. रणजीत कुमार सिंह)  
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

## आवेदन प्रपत्र

नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) के पदों पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट साईज का  
स्वअभिप्रमाणित  
फोटो

1. (क) नियोजन हेतु आवेदित नगर निगम/नगर परिषद्/ नगर पंचायत का नाम:-  
(ख) शिक्षक का ग्रेड :- (i) बेसिक ग्रेड  (ii) स्नातक ग्रेड
2. अभ्यर्थी का नाम:-
3. (क) पिता का नाम :-  
(ख) माता का नाम:-
4. जन्म तिथि :-
5. लिंग :- पुरुष  महिला  6. 1 ली० अगस्त, 2019 को आयु :-वर्ष  माह  दिन
7. स्थायी पता :- ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर.....

थाना..... जिला:-..... पिन कोड : .....

8. पत्राचार का पता:- ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर.....
- थाना:-..... जिला:-..... पिन कोड:-.....

9. कोटि:- सामान्य  आरक्षित
10. आरक्षण की कोटि:- अ०ज०  अ०ज०जा०  अ०पि०व०  पि०व०  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
11. (क) यदि विकलांग हो तों:- दृष्टि बाधित  श्रवण बाधित  अस्थिजन्य निःशक्त  मनोविकार   
(ख) बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हे केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता/पोती/नाती/नतीनी
12. योग्यता :-  
(क) टी० ई० टी०/सी० टी० ई० टी०-उत्तीर्णता का वर्ष :-   
(ख) शैक्षणिक योग्यता :-

शैक्षणिक	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/परिषद्/विश्व० का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत अंक
1	2	3	4	5	6
मैट्रिक/माध्यमिक					
उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट					
स्नातक/स्नातक प्रतिष्ठा					
प्रशैक्षणिक योग्यता					

नोट:- यदि कोई अभ्यर्थी दो वर्षीय प्रशिक्षण एवं बी० एड० दोनों की डिग्री प्राप्त किया हो तो उनके द्वारा दावा किये गये किसी एक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के प्रतिशत को मेधा अंक में जोड़ा जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनाये सही है। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान.....

तिथि.....

आवेदक का हस्ताक्षर

### प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती ..... से नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) पद पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया जिसकी प्राप्ति संख्या..... है।

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम  
(मुहर के साथ)

आवेदन प्रपत्र

पंचायत/प्रखंड शिक्षक (प्रशिक्षित) के पदों पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र—

पंचायत/प्रखंड शिक्षक (बेसिक ग्रेड)/ प्रखंड शिक्षक (स्नातक ग्रेड)

(जो लागू हो, उसे (✓) करें)

1. नियोजन हेतु आवेदित पंचायत/प्रखंड का नाम:-

2. अभ्यर्थी का नाम:-

3. (क) पिता का नाम :-

(ख) माता का नाम:-

4. जन्म तिथि :-

5. लिंग :- पुरुष  महिला  6. 1 ली० अगस्त, 2019 को आयु :-वर्ष  माह  दिन

7. स्थायी पता :- ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर.....

थाना..... जिला:-..... पिन कोड :-.....

8. पत्राचार का पता:- ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर.....

थाना:-..... जिला:-..... पिन कोड:-.....

9. कोटि:- सामान्य  आरक्षित

10. आरक्षण की कोटि:- अ०ज०  अ०ज०जा०  अ०पि०व०  पि०व०  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

11. (क) यदि विकलांग हो तों:- दृष्टि बाधित  श्रवण बाधित  अस्थिजन्य निःशक्त  मनोविकार

(ख) बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता/पोती/नाती/नतीनी

12. योग्यता :-

(क) टी० ई० टी०/सी० टी० ई० टी०-उत्तीर्णता का वर्ष :-

(ख) शैक्षणिक योग्यता :-

शैक्षणिक	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/परिषद्/विश्व० का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत अंक
1	2	3	4	5	6
मैट्रिक/माध्यमिक					
उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट					
स्नातक/स्नातक प्रतिष्ठा					
प्रशैक्षणिक योग्यता					

नोट:- यदि कोई अभ्यर्थी दो वर्षीय प्रशिक्षण एवं बी० एड० दोनों की डिग्री प्राप्त किया हो तो उनके द्वारा दावा किये गये किसी एक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के प्रतिशत को मेधा अंक में जोड़ा जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनाये सही है। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान.....

तिथि.....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती ..... से पंचायत/प्रखंड शिक्षक (प्रशिक्षित) पद पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया जिसकी प्राप्ति संख्या..... है।

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम  
(मुहर के साथ)